“चोल प्रशासन”

Mandip kumar chaurasiya

Assistant professor(Guest)

Dept. of A.I.H. & Archaeology

Patna university, patna-800005

M.A. Semester - III

Paper/CC – 13 Religion Philosophy & Political Administration of Ancient India

दक्षिण भारतीय इतिहास में चोल वंश का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है| यधपि चोल वंश अत्यंत प्राचीन वंश था| चोल शासकों ने अपनी बड़ी बड़ी विजयों से चोल साम्राज्य को विशाल बनाया| चोलों के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली पक्ष उनका शासन प्रबंध था| जिसके चलते एक शक्तिशाली राजवंश की स्थापना हो सकी| चोलों के शासन-प्रबंध के विषय में चोलों के अनेक अभिलेख प्रकाश डालते है|

केंद्रीय शासन एवं शासक - चोल शासन काल में भी शासन का स्वरूप राजतन्त्र था| चोल शासकों ने एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया था| चोल साम्राज्य सम्पूर्ण दक्षिण भारत पर विस्तृत था| चोल शासक अपने साम्राज्य एवं सम्मान बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते थे| चोल शासक अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए निरंतर दान-दक्षिणा किया करते थे| इसी कारण अनेक मंदिरों के नाम भी सम्बंधित शासक के नाम पर रखे गए तथा राजाओं की मूर्तियाँ मंदिरों में स्थापित करवाई गई| उदाहरण के लिए राजराजेश्वर मंदिर का उल्लेख किया जा सकता है|

चोल-साम्राज्य में राजा अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे| यह प्रथा इस दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण थी कि आगे उत्तराधिकार के लिए युद्ध की सम्भावना समाप्त हो जाती थी, जिससे घोषित अधिकारी को शासक बनने से पूर्व ही प्रशासन एवं राज्य-कार्य का अनुभव हो जाता था| राजा ही प्रशासन एवं राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता था तथा उसे समस्त अधिकार प्राप्त थे| सार्वजनिक प्रशासन में राजा की भूमिका मौखिक आदेशों के रूप में होती थी| राजा के सचिव राजा के आदेशों को नोट करके केंद्रीय अथवा प्रांतीय अधिकारियों, जिनसे भी आदेश सम्बंधित होते थे, को भेज दिया जाता था| चोलों की प्रशासन-व्यवस्था की उल्लेखनीय बात केंद्र में किसी मंत्रिपरिषद का न होना था| राजा की सहायता के लिए तथा मंत्रिपरिषद के आभाव को दूर करने के लिए कर्मचारियों की एक बहुत बड़ी जमात थी| इस कर्मचारी जमात के प्रमुख सदस्य राजा के निकट सम्बन्ध में रहते थे तथा राजा को समय समय पर परामर्श देते थे|

चोल शासक शासन-व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियमित रूप से राजा राज्य का दौरा करते थे| चोल अभिलेखों से ज्ञात होता है कि चोल शासन में सिविल सर्विस का सुव्यवस्थित संगठन था तथा इस विभाग के अध्यक्ष को 'ओ लै-नायक' कहा जाता था|

थल सेना व नौ सेना - राजा थल एवं जल सेना का प्रधान होता था| चोल अभिलेखों से ज्ञात होता है कि चोल सेना विभिन्न दलों में बंटी हुई थी| ऐसे दलो की संख्या संभवतः 70 थी| इनके विभिन्न नाम जैसे पर्थिवशेखर, समरकेसरी, विक्रमसिंह, दानतोंग, तायतोंग आदि होते थे जो सम्भवतः राजाओं के उपनामों पर आधारित होते थे| चोल अभिलेख से ही ज्ञात होता है कि प्रत्येक दल का सामूहिक जीवन होता था| चोल सेना का प्रमुख तीन अंग हाथियों के कोर (कुंजिमल्लर),

घुड़सवार (कुडिरैच्चेगर) तथा पैदल सेना होते थे| इसके अतिरिक्त धनुर्धरों, असिधरों की भी दल होती थी|

चोल सेना समूचे राज्य में छोटी-छोटी छावनियों में जिन्हें 'कड़गम' कहते थे, में रहती थी| सेना को समय-समय पर युद्ध का अभ्यास कराया जाता था तथा उनपर अनुशासन रखा जाता था| सेनापतियों व सैनिक अधिकारियों को सेनापति, नायक, महादण्डनायक आदि उपाधियाँ प्रदान की जाती थी|

चोल शासकों के असंख्य जहाजों ने समुद्र को पार करके कडारम तथा लंका पर विजय प्राप्त की थी, जिससे प्रमाणित होता है की चोलों की सुसंगठित नौ-सेना थी| चोलों की नौसेना में बहुत बड़ी संख्या में जहाज व नौकायए थी|

आय के साधन - प्राचीन काल के अन्य राज्यों के सामान ही चोल-साम्राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भूमि कर था| भूमि कर, उपज का एक तिहाई (1/3) होता था जिसे ग्राम सभाएं एकत्रित करती थी| भूमि कर किसान नगद अथवा उपज किसी भी रूप में अपनी इच्छानुसार दे सकते थे| भूमि का समय-समय पर सर्वेक्षण कराया जाता था| अकाल, बाढ़ अथवा किसी अन्य आकस्मिक आपत्ति आने पर कर में छुट प्रदान की जाती थी| भूमि कर के अतिरिक्त राज्य की आय के अन्य स्रोत भी थे| व्यापारियों, सुनारों एवं बुनकरों पर विभिन्न कर लगाये जाते थे| खानों व वनों से भी राज्य को धन प्राप्त होता था| नदियों, तालाबों व बाजारों पर भी लगाये हुवे कर से राज्य की आय होती थी| चोल शासक कर के मामले में उदार भी थे| कुलोतुंग ने अनेक करो को समाप्त कर दिया था|

सार्वजनिक व्यय - चोल-साम्राज्य की कुल आय का प्रमुख भाग सेना, नौ-सेना व सिविल सर्विस पर खर्च किया जाता था| चोल राजाओं ने सिचाई का अच्छा प्रबंध करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में धन व्यय किया| चोल राजाओ द्वारा

अनेक नहरें व तालाब बनवाये गए| अनेक छोटी-छोटी नहरे बनवाई गई| चोल शासकों ने मंदिरों को भी अत्यधिक दान दिया|

प्रान्तीय शासन - चोल साम्राज्य की सीमाएं दूर-दूर तक विस्तृत थी, अतः इतने बड़े साम्राज्य की वयवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सम्पूर्ण साम्राज्य को अनेक प्रान्तों में विभाजित किया गया था जिन्हें 'मंडल' (प्रान्त) कहा जाता था|राजराज प्रथम के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि चोल साम्राज्य आठ मंडलों में विभाजित था| प्रत्येक मंडल 'वलनाडू' (बड़े प्रदेश आधुनिक कमिशनरी के समान) तथा 'नाडू' (आधुनिक जिले के समान) में बंटा हुआ होता था| 'कोट्टम' अथवा 'कुर्रम' (गाँव के सामान) शासन की छोटी इकाई थी| कई कोट्टम मिलकर एक नाडू व कई नाडू मिलकर एक 'वलनाडू' की रचना करते थे| प्रत्येक मंडल में राजा द्वारा नियुक्त गवर्नर शासन करता था| इसकी सहायता के लिए अनेक उसके अधीन कर्मचारी होते थे|

स्वशासन-व्यवस्था - चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता स्वशासन की व्यवस्था थी जो शासन का कार्य देखती थी| वलनाडू (बड़े प्रदेश) की सभा को 'नाट्टर' कहा जाता था| इसके अतिरिक्त, कोट्टम (गाँव) में भी सभाएं होती थीं जिनके विषय में विस्तृत जानकारी चोल अभिलेखों से प्राप्त होती है| चोल-साम्राज्य में गाँव 'कोट्टम' दो प्रकार के होते थे| एक साधारण जिन्हें 'उर' कहते थे व इनकी सभा को उरार कहते थे|

इन ग्राम संस्थाओं में जनतांत्रिक कार्यप्रणाली प्रचलित थी| ये संस्थाए अपना कार्य अनेक समितियों के द्वारा करती थी| इन समितियों को वेरियम कहते थे| प्रत्येक समिति में निर्वाचित सदस्य होते थे| निर्वाचन के लिए गाँव को तीस भागों

में विभाजित कर दिया जाता था तथा प्रत्येक भाग के निवासी कुछ व्यक्तियों को चुनते थे|

ग्राम सभाओं को पूर्णरूप से स्वायत्त शासन के अधिकार प्राप्त थे तथा राज्य उनके मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता था| आवश्यकता पड़ने पर राजा इन ग्राम-सभाओं के मामले में हस्तक्षेप करता था व उनको दण्डित भी करता था|

न्याय-व्यवस्था - चोल साम्राज्य में न्याय की भी उच्चकोटि की व्यवस्था थी| मुकदमों का निर्णय करने का अधिकार स्थानीय संस्थाओं को था| वर्तमान जूरी प्रथा से मिलाती जुलती न्याय व्यवस्था उस समय भी विधमान थी| अंतिम अपील राजा के पास की जा सकती थी| चोलो की दण्ड व्यवस्था उदार थी| चोल अभिलेखों से ज्ञात होता है कि व्याभिचार, चोरी, धोखेबाजी को गंभीर अपराध माना जाता था| किसी व्यक्ति द्वारा अपराध हुआ है की नहीं उसका फैसला ग्राम-संस्थाएं करती थी| जिस मुक़दमे में कोई गवाह नहीं होता था उसमे न्याय दिव्य-प्रथा के द्वारा किया जाता था|

इस प्रकार हम कह सकते है कि चोलो कि प्रशासनिक व्यवस्था अत्यंत ही सुदृढ़ थी| इसी शासन व्यवस्था के चलते चोलो ने एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की| चोलो ने अपने प्रशासन व्यवस्था के अंतर्गत स्थानीय-स्वशासन को लागु कर एक नई शासन व्यवस्था का प्रारम्भ किया|